प्रेस नोट

यातायात पुलिस द्वारा टैक्सी में अवैध शराब बरामदगी कार्यवाही के सम्बध में

दिनांकः-26.05.2023

श्रीमान रवि दत्त गौड पुलिस आयुक्त जोधपुर के निर्देशानुसार, श्री चैनसिंह महेचा अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त यातायात जोधपुर के सुपरविजन में आज दिनांक 26.05.2023 को वक्त 11.30 ए.एम. पर पुरी तिराहा पर यातायात व्यवस्था डयूटी के दौरान श्री हरसहाय हैडकानि. 1538, श्री चन्द्रप्रकाश कानि. 269 व श्रीमती सुमन कंवर होमगार्ड यातायात पुलिस बताया कि टैक्सी नंबर RJ 19 PB 3943 जो कि आर आर तिराहे की तरफ से तेज गति से आ रही थी जिसे रुकने का इशारा किया तो टैक्सी चालक ने कट मार कर तेज़ गति से भगा कर दूध भंडार के पास वाली गली में टैक्सी ले गया जिससे टैक्सी संदिग्ध प्रतीत हुई जिसका पीछा कर पकड़ा तो चालक से भागने का कारण पूछा तो संतोषजनक जवाब नहीं दिया टैक्सी की तलाशी ली जिसमें 4 कार्टून देशी शराब, 48 पव्वे प्रति कार्टून कुल 192 पव्वे और 12 क्वार्टर अंग्रेजी शराब और 12 कैन बीयर रखी हुई मिली पाई गई। शराब का परिवहन करने वाले व्यक्ति का नाम श्री महेंद्र धारू पुत्र श्री पूनमचंद निवासी उदयमंदिर हरिजन बस्ती जोधपुर और टैक्सी चालक का नाम जिसका नाम श्री टीपू पुत्र श्री इकरम खान बताया। ताबाद जरिए वायरलेस पीसीआर को बताया गया। जिस पर संबंधित चेतक मौके पर पहुंची जिसे टैक्सी मय अवैध शराब एवं दोनों व्यक्तियों को पुलिस थाना उदयमन्दिर सुपुर्द किया गया

(चैनसिंह महेचा)

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त
यातायात, आयुक्तालय जोधपुर

RJ19P
B3943
USA